न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 38 / 2022 / अपील / एलआरएक्ट / कोटा
दायरा दिनांक 09.03.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. वेद प्रकाश आ0 राम लाल
2. प्रेम कुमार आ0 राम लाल
3. अरूण कुमार उर्फ राहुल आ0 रामलाल
4. केवली बाई पत्नि राम लाल

जाति खत्री निवासीगण गांवड़ी तहसील लाड़पुरा जिला कोटा हाल इंदौरी चौराहा, कोटा
जरिये मुख्तार आम सतविंदर सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति सिक्ख, निवासी गुरूद्वारा गली, कोटा जं0, कोटा

...अपीलांट

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा–राज0।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री अशोक कुमार गुप्ता –अपीलांटू
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 04.07.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा। (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 06 / 2018 बउनवान वेद प्रकाश वगेरह जर्ये मुखतारआम सतविन्दर सिंह बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 06.10.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर निवेदन किया कि पटवार हल्का रंगपुर के ग्राम गांवडी में प्रार्थीगण की खाते की कृषि आराजी जिसका वर्तमान खसरा संख्या 519 / 548 की रकबा 0.16 हैक्टेयर स्थित है, जिसके खातेदार प्रार्थीगण चले आ रहे हैं। उपरोक्त खसरा संख्या 519 / 548 सेटलमेंट के पूर्व खसरा संख्या 273 / 196 थे। उपरोक्त संपत्ति पर प्रार्थीगण का लंबे समय से कब्जा एवं स्वामित्व चला आ रहा हैं। उक्त संपत्ति के संबंध में वर्ष 1998–99 में अप्रार्थी द्वारा केचमेंट किया गया था, जिसमें एक आंशिक मानचित्र बनाया गया था, आंशिक मानचित्र में प्रार्थीगण की कृषि आराजी दर्शा तो रखी है लेकिन प्रार्थीगण के कृषि आराजी के खसरा नम्बर नक्श ट्रेस में नहीं दर्शा रखे है, जबकि केचमेंट से पूर्व जो नक्शा ट्रेस था, उसमें उपरोक्त प्रार्थीगण के खसरा

नम्बर अंकित थे, लेकिन केचमेंट करते समय जो नक्शा ट्रेस बनाया गया उस नक्शे ट्रेस में दुरस्त कर खसरा संख्या 519/548 अंकित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 519/548 की रकबा 0.16 हैक्टेयर ग्राम गांवडी पटवार हल्का रंगपुर तहसील लाड़पुरा जिला कोटा को केचमेंट के बाद नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर अंकन कराये जाने के आदेश अप्रार्थी (तहसीलदार लाड़पुरा) को दिया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त नहीं होने तथा केचमेंट ब्लॉक गांवड़ी वर्ष 1998–99 के दौराने सेटलमेंट खसरा संख्या 519/548 को केचमेंट के दौरान फर्द मिलान क्षेत्रफल गत केचमेंट ब्लॉक गांवड़ी वर्ष 1998–99 में नया नम्बर कायम नहीं होना वर्णित करते हुए प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर निर्णय दिनांक 06.10.2021 से खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपील राज0 भू राजस्व अधि0 की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अपीलांट के खाते एवं काश्त की कृषि आराजियात ग्राम गांवडी पटवार हल्का रंगपुर तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में स्थित है जिसका खसरा संख्या वर्तमान में 519/548 है। उक्त खसरा संख्या सेटलमेंट से पूर्व 273/196 थे, वर्ष 1998–99 में केचमेंट के दौरान आंशिक मानचित्र बनाया जाकर अपीलांट की आराजी दर्शा रखी है लेकिन उपरोक्त नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर नहीं दर्शा रखा उक्त तकनीकी त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। जिस पर तहसीलदार कोटा से रिपोर्ट अनुसार केचमेंट 1998–99 के फर्द मिलान में नया नम्बर कायम नहीं हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील रिपोर्ट में कब्जा नहीं होना अंकित कर प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह देखना था कि जो केचमेंट में आंशिक नक्शा ट्रेस वर्ष 1998–99 में बनाया गया है, उसमें जो त्रुटिवश खसरा नम्बर का इन्द्राज नहीं किया गया वह एक लिपिकिय त्रुटि मानी जाकर राजस्व विभाग को उक्त बिन्दु पर गौर नहीं करने में भारी त्रुटि की हैं। धारा 136 एलआरएक्ट में किसी भी खातेदार के राजस्व रिकॉर्ड में अथवा दस्तावेज में कोई त्रुटि होती है तो उसे दुरूस्त किया जा सकता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन बिन्दुओं पर बिना गौर किये आदेश दिनांक 06.10.2021 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट के खाते एवं काश्त की कृषि आराजियात ग्राम गांवडी पटवार हल्का रंगपुर तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में स्थित है। वर्ष 1998–99 में केचमेंट के दौरान आंशिक मानचित्र बनाया जाकर अपीलांट की आराजी दर्शा रखी है लेकिन उपरोक्त नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर नहीं दर्शा रखा उक्त तकनीकी त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जिस पर तहसीलदार कोटा से रिपोर्ट अनुसार केचमेंट 1998–99 के फर्द मिलान में नया नम्बर कायम नहीं हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील रिपोर्ट में कब्जा नहीं होना अंकित कर प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह देखना था कि जो केचमेंट में आंशिक नक्शा ट्रेस वर्ष 1998–99 में बनाया गया है, उसमें जो त्रुटिवश खसरा नम्बर का इन्द्राज नहीं किया गया वह एक लिपिकिय त्रुटि मानी जाकर धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में अथवा दस्तावेज में कोई त्रुटि होती है तो उसे दुरूस्त किया जा सकता है लेकिन अधीनस्थ

न्यायालय ने इन बिन्दुओं पर बिना गौर किये आदेश दिनांक 06.10.2021 पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 पैरोकार सरकार रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया।

5 हमने अपील पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर विचार कर आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2072–2075 के ख0 नं0 519/548 रकबा 0.16 हैक्टेयर किस्म नहरी प्रथम वेदप्रकाश, प्रेम कुमार, अरूण कुमार, पि0 रामलाल केवलीबाई बेवा रामलाल जाति खत्री, निवासी कोटा जं0 के खाते दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा द्वारा अपीलांट के मौके पर काबिज काश्त नहीं होने तथा ब्लॉक गांवड़ी वर्ष 1998–99 के दौरान सेटलमेंट खसरा संख्या 519/548 को केचमेंट के दौरान फर्द मिलान क्षेत्रफल गत केचमेंट ब्लॉक गांवड़ी वर्ष 1998–99 में नया नम्बर कायम नहीं होना वर्णित करते हुए प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर निर्णय दिनांक 06.10.2021 से खारिज किया गया है। जबकि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, लाड़पुरा अनुसार सेटलमेंट जमाबंदी ग्राम गांवडी सम्मत 2038–2057 के अनुसार खसरा संख्या 519/548 रकबा 0.16 हैक्टेयर गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 273/193 मे से बना हुआ हैं तथा जमाबंदी सं0 2072–2075 के ख0 नं0 519/548 रकबा 0.16 हैक्टेयर किस्म नहरी प्रथम वेदप्रकाश, प्रेम कुमार, अरूण कुमार, पि0 रामलाल केवलीबाई बेवा रामलाल जाति खत्री, निवासी कोटा जं0 के खाते दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होना मानते हुए तथा केचमेंट ब्लॉक गांवड़ी वर्ष 1998–99 में भी नया नम्बर कायम नहीं होने से अपीलांट का प्रार्थना–पत्र 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को न्यायोचित नही माना जा सकता। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश दिनांक 06.10.2021 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि निर्णय मे विवेचित उक्त तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर सेटलमेंट से पूर्व बाद के राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल तथा नक्शा आदि का समुचित परीक्षण कर रकबा बरारी करते हुये प्रकरण मे पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करे।।

6 निर्णय आज दिनांक 04.07.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा